उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या: 2/2017/241/22-1-2017-12(52)/2016

लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या-2608/2011 यू0पी0पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27-04-2012 को पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन के संबंध में योजित अवमानना याचिका संख्या-214(सी)/2013 अमर कुमार व अन्य बनाम जावेद उस्मानी व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2015 के क्रम में, पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नत कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 के कार्मिकों, जिन्हें कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21-08-2015 एवं 27-11-2015 के अनुपालन में पदावनत किया गया है, के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु शिकायत समिति (Grievance committee) का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1-	प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन-	अध्यक्ष
2-	महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0-	सदस्य
3-	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित अधिकारी-	सदस्य
4-	प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित अधिकारी-	सदस्य
5-	विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन-	संयोजक सदस्य

एस0 के0 रघुवंशी

सचिव।

संख्या: 2/2017/22-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

4- विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in